कार्यस्थल पर स्वास्थ्य के खतरे

डॉ. जयप्रसाद त्रिपाठी

अधिकांश विकासशील देशों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के चलते व्यावसायिक स्वास्थ्य का मुद्दा हमेशा उपेक्षित ही रहा है। इसकी एक प्रमुख वजह यह रही है कि यह मसला हमेशा उन लोगों द्वारा ही उठाया जाता है, जिनका प्रभाव सीमित है अर्थात श्रमिक वर्ग। स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े पेशेवरों को न तो नियमित रूप से व्यावसायिक एक्सपोज़र की हिस्ट्री मिल पाती है और न ही जोखिम वाले उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों के सटीक आंकड़े। एक कारण यह भी है श्रमिकों में बीमारी के लक्षण लंबे समय उभरते नहीं हैं और नियोक्ताओं के वित्तीय लाभ व श्रमिकों के स्वास्थ्य के बीच हितों का टकराव होता है। इन वजहों से व्यावसायिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्नत निगरानी प्रणाली, कानूनों का सख्ती से पालन, व्यापक पैमाने पर चिकित्सकीय एवं रोग प्रसार अनुसंधान और शिक्षा के बेहतर अवसर समय की मांग हैं।

अधिकांश विकासशील देशों में कामकाज के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा का मसला सदैव से हाशिए पर ही रहा है। इसकी मुख्य वजह हैं परस्पर विरोधी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां। इन देशों में कार्य करने वाले श्रमिक अनियंत्रित और असुरक्षित एक्सपोज़र का सामना करते हैं। ये आज भी उन्हीं खतरों से दो-चार होते हैं जो दशकों से औद्योगिक विश्व में मौजूद रहे हैं। इसमें भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगार सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कुल श्रमबल का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही असंगठित श्रमिकों का है। प्रवासी श्रमिकों को प्रायः अनाकर्षक कार्य करने पड़ते हैं और उन्हें कार्यस्थलों पर सर्वाधिक स्वास्थ्य सम्बंधी खतरों से जूझना पड़ता है। इतना ही नहीं, औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण के कारण बीमारियों के पैटर्न में भी आमूल बदलाव आए हैं। इस कारण स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां उपस्थित हुई हैं। इनमें बढ़ती लागत भी शामिल है।

इतनी उपेक्षा क्यों?

कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य सम्बंधी बेहतर उपायों की मांग आम तौर पर उस वर्ग द्वारा की जाती है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती, यानी श्रमिक वर्ग। यही कारण है कि ताकतवर नियोक्ताओं या नीतिकारों के कानों तक या तो उनकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पाती या फिर वे सुनकर भी अनुसना कर देते हैं। कार्यस्थलों पर काम से जुड़े व पर्यावरण सम्बंधी खतरों और सुरक्षा के बारे में श्रमिकों को बहुत ही कम जानकारी रहती है। राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए पैसा भी बहुत कम उपलब्ध करवाया जाता है।

कानूनी फ्रेमवर्क

भारत की 1983 और 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि व्यावसायिक खतरों के कारण होने वाली बीमारियों व शारीरिक नुकसान को रोका जाना चाहिए और पीड़ित लोगों का उपचार किया जाना चाहिए। इसमें संगठित और गैर संगठित दोनों क्षेत्रों के उद्योगों को शामिल किया गया है। इस नीतिगत पहल के बावजूद हमारे देश में पर्यावरणीय एवं व्यावसायिक खतरों को नियंत्रण में रखने की दिशा में बहुत कम ध्यान दिया गया है। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा के प्रमुख कानूनी प्रावधानों में कारखाना कानून एवं खदान कानून शामिल हैं। कारखाना कानून के तहत खतरनाक उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की समय-समय पर चिकित्सकीय जांच और कार्यस्थल की परिस्थितियों की निगरानी अनिवार्य बनाई गई है। इनके अलावा, कुछ विशिष्ट कार्यसमूहों की सुरक्षा के लिए कई अन्य कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। इनमें शामिल हैं: बागान श्रमिक कानून 1951, गोदी श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) कानून 1986, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियमन एवं सेवा शर्तें) कानून 1996, बीड़ी एवं

सिगार श्रमिक (रोज़गार की शर्तें) कानून 1966, बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) कानून और कीटनाशी कानून 1968। बहरहाल, भारत में 90 फीसदी से भी अधिक श्रमिक कारखानों में कार्य नहीं करते हैं। इसलिए ये श्रमिक विभिन्न कानूनी दायरों से बाहर ही रहते हैं।

व्यावसायिक निगरानी

कार्यस्थलों पर बीमारियों व ज़ख्मों की प्रकृति, उनके विस्तार और पैटर्न के आकलन के लिए व्यावसायिक निगरानी तंत्र बेहद ज़रूरी है जो कार्यरत श्रमिकों में स्वास्थ्य से सम्बंधित परिस्थितियों पर व्यवस्थित ढंग से नज़र रख सके। इस निगरानी तंत्र से प्राप्त आंकड़ों से बीमारियों को नियंत्रण में रखने से सम्बंधित रणनीतियां बनाने और अनुसंधान की प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस सम्बंध में किए जाने वाले प्रयासों की प्रभाविता के मूल्यांकन में भी सहायता मिलेगी। इससे कार्यस्थलों पर बीमारियां फैलाने वाले तत्वों की खोज करने में भी आसानी होगी क्योंकि कार्यस्थलों पर प्रयुक्त अधिकांश रसायनों की विषाक्तता का पता भी नहीं है।

वैसे देखा जाए तो व्यावसायिक ज़ख्मों और बीमारियों की समग्र राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था तो विकसित देशों में भी नहीं है। विकसित देशों में श्रम सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा किए गए वार्षिक सर्वेक्षण, श्रमिकों को दिए गए मुआवज़े के रिकॉर्ड और फिज़िशियन रिपोर्टिंग सिस्टम आदि व्यावसायिक ज़ख्मों और बीमारियों के आंकड़ों के प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन इन तरीकों से हासिल आंकड़ों के बारे में माना जाता है कि

ये प्रायः टुकड़ों-टुकड़ों में होते हैं तथा अविश्वसनीय और एकरूपता के अभाव से ग्रस्त होते हैं।

अस्पतालों से डिस्चार्ज के समय डायग्नोसिस की जानकारी व्यावसायिक बीमारियों की निगरानी का अच्छा स्रोत हो सकती हैं क्योंकि यह जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है। लेकिन इन आंकड़ों की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कार्य और कार्यस्थलों के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव, आंकड़ों की गुणवत्ता का संदेहास्पद होना और केवल उन्हीं बीमारियों के आंकड़े उपलब्ध होना जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। श्रमिकों की मुआवज़ा रिपोर्ट्स और मृत्यु सम्बंधी आंकड़ों की हमेशा इस बात को लेकर आलोचना होती है कि उनमें प्रायः वास्तविकता से कम रिपोर्टिंग होती है। नियोक्ता-आधारित नियमित चिकित्सा निगरानी को अनिवार्य बनाकर इससे प्राप्त आंकड़ों को व्यावसायिक बीमारी निगरानी व्यवस्था में डालना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

चुनौतियां

व्यावसायिक बीमारियों की पहचान और उनकी रिपोर्टिंग को लेकर कई चुनौतियां हैं:

1. स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर अपने मरीज़ों से नियमित तौर पर उनके कार्य सम्बंधी एक्सपोज़र की हिस्ट्री हासिल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पर्याप्त प्रशिक्षण ही नहीं मिलता है कि वे किसी बीमारी के लिए कार्यस्थल की परिस्थितियों पर संदेह करें।

2. ऐसी बहुत-सी बीमारियां होती हैं, जो कामकाज की खराब परिस्थितियों के अलावा अन्य कारणों से भी हो सकती हैं। रोग के लक्षण उभरने में समय भी बहुत लगता है। इस वजह से यह पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि किसी बीमारी में कामकाज की परिस्थिति का क्या योगदान हो सकता है।

3. अक्सर श्रमिक इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वे जिन खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आ रहे हैं, उनकी सटीक जानकारी दे सकें क्योंकि उन पदार्थों की घातक प्रकृति के बारे में उन्हें ही पूरी जानकारी नहीं दी जाती। इसके अलावा

अधिकांश श्रमिक इतने पढ़े-लिखे भी नहीं होते कि स्वयं ही उन पदार्थों की घातक प्रकृति के बारे में जान सकें, जिनके संपर्क में वे आ रहे हैं।

4. कार्य सम्बंधी एक्सपोज़र और बीमारियों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी तो नियोक्ताओं के पास ही होती है। वे इस सम्बंध में अच्छे स्रोत हो सकते हैं, लेकिन उनके वित्तीय लाभ और श्रमिकों के स्वास्थ्य के बीच हितों का टकराव व्यावसायिक स्वास्थ्य की निगरानी के मार्ग का एक बड़ा रोड़ा बन जाता है।

5. औद्योगिक सुरक्षा पर अपर्याप्त निवेश, सस्ता श्रम, कमज़ोर एवं राजनीति से प्रेरित श्रमिक संगठन और कामकाज सम्बंधी जोखिम को लेकर जानकारी का अभाव जैसी अन्य बाधाएं हैं।

6. व्यासायिक सुरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन में कमज़ोर प्रोफेशनल क्षमता एवं विशेषज्ञता भी एक बड़ी चुनौती है।

रास्ता क्या है?

श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में प्रोफेशनल दक्षता का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर ऐसे कई संगठन हैं जो तकनीकी विशेषज्ञता मुहैया करवाते हैं। ये संगठन कई देशों में व्यावसायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इन संगठनों को चाहिए कि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अवसरों के ज़रिए विकासशील देशों में प्रोफेशनल क्षमता हासिल करने में मदद करें। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कॉलेबोरेटिंग सेंटर्स इन ऑक्यूपैशनल हेल्थ, इंटरनेशनल कमीशन ऑन ऑक्यूपैशनल हेल्थ, इंटरनेशनल ऑक्यूपैशनल हाइजीन एसोसिएशन और इंटरनेशनल एर्गोनॉमिक्स एसोसिएशन ऐसे ही कुछ संगठन हैं। मौजूदा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों को संशोधित करके उनमें व्यावसायिक एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य को शामिल किया जाना चाहिए।

विकासशील देशों में व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसंधान की बुनियादी मान्यताओं में बदलाव की ज़रूरत है। व्यवसायों में प्रयुक्त खतरनाक सामग्री के विश्लेषण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की सिफारिश की गई है। अनुसंधान के भावी एजेंडा में हस्तक्षेपों की प्रभाविता, जोखिम नियंत्रण प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा उपकरणों पर अध्ययन, रोग एवं शारीरिक क्षति पर शोध, कार्यस्थल पर घातक पदार्थों के एक्सपोज़र से जोखिम का निर्धारण करने के लिए रोग-प्रसार विज्ञान (एपिडेमियोलॉजिकल) शोध और समुन्नत निगरानी तंत्र को शामिल किया जाना चाहिए।

विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता के साथ एक ऐसे व्यावसायिक व पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की स्थापना करने की ज़रूरत है जो विभिन्न मंत्रालयों, जैसे श्रम, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, खनन मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय कर सके। सभी हितधारी, जैसे नियोक्ता, कर्मचारी, सरकार, अकादमिक शोध संगठन और गैर सरकारी संगठनों को साथ मिलकर व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा की रणनीति तैयार करनी चाहिए।

ऐसी कई जांची-परखी रणनीतियां हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से अमल में लाने की ज़रूरत है। जैसे खतरनाक सामग्री या प्रक्रिया की बजाय कम घातक सामग्री या प्रक्रिया का इस्तेमाल करना, इंजीनियरिंग एवं प्रशासनिक तरीकों का इस्तेमाल करके श्रमिकों को जोखिम वाले कार्यों से पृथक करना और उन्हें सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाना, सख्त लाइसेंसिंग एवं नियमन नीतियों के ज़रिए जोखिम वाले उद्योगों की कड़ी निगरानी रखना इत्यादि।

विकसित देशों ने उनके यहां मौजूद पर्यावरण सम्बंधी नियमों, महंगी मज़दूरी और हरित नीतियों के कारण जोखिम वाले उद्योगों की स्थापना के लिए भारत जैसे विकासशील देशों को चुना है। औद्योगिक नियमों के कमज़ोर क्रियान्वयन, सस्ते श्रम, गरीबी और बेरोज़गारी के कारण इन जोखिम वाले उद्योगों को भारत में फलने-फूलने का अच्छा मौका मिल गया। हमारे देश को अपनी नियामक नीतियों को सख्त करके और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देकर विश्व बाज़ार में एक दृढ़ रवैया प्रस्तुत करना चाहिए।

हाल के दिनों में न्यायिक सक्रियता के कारण जनहित के मामलों में सकारात्मक असर पड़ा है। गैर सरकारी संगठन, मीडिया, श्रम संगठन और कर्मचारी इस मामले में न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा

सकते हैं।

बढ़ते औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के चलते व्यावसायिक बीमारियों के प्रकोप में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन वाजिब नीतियों एवं रणनीतियों के अभाव में ऐसे श्रमिकों की बदहाली उपेक्षित रही है। बेहतर निगरानी प्रणाली, कानूनों का सख्ती से पालन, बड़े पैमाने पर चिकित्सकीय एवं रोग-प्रसार अनुसंधान और शिक्षा के बेहतर अवसर आज एक महती ज़रूरत है। ***(स्रोत फीचर्स)***